भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2913
दिनांक 12 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

बिहार में आंगनवाड़ी केंद्र

2913. श्री चिराग कुमार पासवानः

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक बिहार में आंगनवाड़ी केंद्रों और मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों की कुल संख्या कितनी है;
(ख) इन आंगनवाड़ी केंद्रों और मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन केंद्रों द्वारा उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या केंद्र सरकार को राज्य सरकार से अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और
(ड.) यदि हां, तो इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) : 30 सितम्बर, 2020 तक बिहार में 105518 मुख्य और 5950 लघु आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) कार्यशील हैं।

(ख) : आंगनवाड़ी सेवाएं स्कीम के तहत निम्नलिखित छह सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है:

i. पूरक पोषण (एसएनपी)
ii. स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा
iii. पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा
iv. टीकाकरण
v. स्वास्थ्य जांच और
vi. रैफरल सेवाएं

छह में से तीन सेवाएं यानी टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रैफरल सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं और एनआरएचएम और सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

(ग) : बिहार राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत वर्ष-वार उपयोग की गई निधियों का विवरण निम्न प्रकार है:

(लाख रुपये में)

वित्तीय वर्ष	एसएनपी	सामान्य
2017-18	59979.55	24204.64
2018-19	74301.2	39823.31
2019-20	77138.36	48225.23

(घ) और (ड.) : हाल ही में 18,380 आंगनवाड़ी केंद्रों (18,147 मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों और 233 लघु आंगनवाड़ी केंद्रों) को मंजूरी देने का एक प्रस्ताव बिहार सरकार से प्राप्त हुआ है। हालांकि, आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र पहले ही बिहार सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। उपयोग प्रमाणपत्र सहित प्रस्ताव उचित रूप से और मानदंडों के अनुसार प्रस्तुत किए जाने पर अतिरिक्त मांगें पूरी की जाती हैं। हाल ही में संपन्न समीक्षा बैठकों सहित बिहार राज्य से परिसंवाद के माध्यम से, कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों जैसे निधियों के उपयोग और उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी)/व्यय का विवरण (एसओई) आदि को समय पर प्रस्तुत करने की जरूरत पर जोर दिया गया है।

*****